HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए बाईक चोरी करने के मामले में 03 अभियुक्तों को 09 माह का कारावास व 10-10 हजार रुपये (कुल 30,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 29.05.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा बाईक चोरी करने के मामले में 03 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 01.11.2023 को अभियुक्त 1.आकाश पुत्र सुरेश निवासी सिसौली थाना मुण्डाली जनपद मेरठ 2. शिवम पुत्र सुशील निवासी लोधीपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ 3. सोनू पुत्र पतराम निवासी किलौरा थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा बाईक चोरी करने के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 534/2023 धारा 379, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.10.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 29.05.2025 में अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय सीजेएम हापुड़ द्वारा 09 माह का कारावास व 10-10 हजार रुपये (कुल 30,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री दिनेश चन्द गौतम एवं पैरोकार म0का0 प्रभा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 अमित कुमार का विशेष योगदान रहा।